

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ /2022.लखनऊ:दि0::मार्च, 28, 2022

--:संशोधित आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह मार्च-2022 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम मुख्यालय के आदेशांक-188/2022 दिनांक 02.02.2022 द्वारा लखनऊ में दिनांक 28.03.2022 से 31.03.2022 तक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2 लखनऊ की खण्ड पीठ गठित की गयी थी।

अपरिहार्य कारणवश उक्त युगल पीठ निम्न प्रकार संशोधित की जाती हैं-

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1.	पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1,2,3 लखनऊ	दिनांक 28.03.22 से 31.03.22 तक	पीठ-1 लखनऊ पीठ-3 लखनऊ	न्यायिक विभागीय

ह0/28.03.2022

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 478 /2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2/3 लखनऊ।
2. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।